

**न्यायालय सहायक कलेक्टर, डीडवाना**


पीठासीन अधिकारी:- श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2017/227

दायर दिनांक 02.08.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद अली खॉ पुत्र हनीफ खॉ जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तह. डीडवाना।	1. अजीज खॉ पुत्र सदीक खॉ 2. मेहमूद खॉ पुत्र सदीक खॉ 3. जलाल खॉ पुत्र सदीक खॉ 4. खलील खॉ पुत्र अलाबक्ष खॉ 5. लोडू खॉ उर्फ मो0 बक्ष पुत्र अलाबक्ष खॉ 6. लाल मो0 पुत्र अलाबक्ष खॉ 7. मो0 लुकमान पुत्र अलाबक्ष खॉ 8. जायदा बैवा अलाबक्ष खॉ 9. दीन मो0 पुत्र इब्राहिम खॉ 10. बाना बेगम पुत्री इब्राहिम खॉ 11. मोहीदीन पुत्र जवरुदीन खॉ 12. लियाकत अली पुत्र कासमदीन 13. हासम अली पुत्र कासमदीन 14. अख्तर रजा पुत्र कासमदीन 15. जैना बानो पुत्री श्री कासमदीन 16. गुलशन बानो पुत्री कासमदीन 17. मेहमूदा बानो पुत्री कासमदीन 18. सबीना पुत्री कासमदीन 19. अमीना पुत्री कासमदीन 20. गनी खॉ पुत्र हनीफ खॉ 21. अलाउदीन पुत्र हनीफ खॉ 22. मोहम्मद बक्ष पुत्र नियाजु खॉ 23. कमरुदीन पुत्र नियाजु खॉ 24. जमीला पुत्री नियाजु खॉ 25. ऐमना पुत्री नियाजु खॉ 26. रहमत पुत्री नियाजु खॉ 27. हसीना पुत्री नियाजु खॉ 28. मोहम्मद खॉ पुत्र गुलाम मो0 29. हलीमा पत्नी गुलाम मो0 30. सकीना पुत्री गुलाम मो0 31. सलामत पुत्री गुलाम मो0 32. फातम पुत्री गुलाम मोहम्मद 33. बिलाल खॉ पुत्र ईजाज खॉ 34. इकबाल खॉ पुत्री ईजाज खॉ 35. अलाउदीन पुत्र ईजाज खॉ 36. जफरुदीन पुत्र ईजाज खॉ 37. अब्दुल रसीद पुत्र हासम खॉ 38. जाकिर हुसैन पुत्र हासम खॉ 39. अ0 रजाक पुत्र हासम खॉ 40. सदाम हुसैन पुत्र हासम खॉ 41. अब्दुल सतार पुत्र हासम खॉ

बनाम्

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2017 / 227  
दायर दिनांक 02.08.2017, निर्णय दिनांक 13.09.2017  
मोहम्मद अली खॉ बनाम अजीज खॉ, वगैरा।

	<p>42. अब्दुल जब्बार पुत्र हासम खॉ 43. बिसमिला पुत्री हासम खॉ 44. सुबानी पुत्री हासम खॉ 45. बेगमा पुत्री हासम खॉ 46. जेनब पुत्री हासम खॉ 47. रमजान बानो पुत्री हासम खॉ 48. सायरा पत्नी हासम खॉ 49. हाजरा पत्नी लाल मोहम्मद जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना। 50. ग्राम पंचायत शैरानी आबाद 51. तहसीलदार डीडवाना।</p>
--	---

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88, 53-188 R.T.Act.

उपस्थित :-

1. श्री मो० शरीफ शैरानी अधिवक्ता वादी
2. श्री मो० रफीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण


--: निर्णय ::--

दिनांक 13.09.2017

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी एवं प्रतिवादी सं० 1ता 49 एक ही परिवार से है। तथा खेत ख. न. 1551/452 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा खसरा न. 452 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा खसरा न. 298 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा खसरा न. 299 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा खसरा न. 1529/447 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा खसरा न. 447 रकबा 05 बीघा खसरा न. 99 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा व खसरा न. 100 रकबा 05 बीघा वाके सरहद शैरानी आबाद हल्का पटवारी शैरानी आबाद में स्थित है। वादी व प्रतिवादीगण की वंशावली वाद के साथ पेश है।

वादी व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पत्ति की भूमि वाके शरहद शैरानी आबाद के खेत ख.न. 1551/452 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा खसरा न. 452 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा खसरा न. 298 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा खसरा न. 299 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा खसरा न. 1529/447 रकबा 10 बीघा 17 बिस्वा खसरा न. 447 रकबा 05 बीघा खसरा न. 99 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा व खसरा न. 100 रकबा 05 बीघा है। जो भूमि संयुक्त खातेदारी में वर्तमान राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है। खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपी वाद के साथ प्रस्तुत है।

वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में अवश्य दर्ज है। मगर वादी व प्रतिवादीगण के बीच मौखिक बंटवारा हो गया तथा इसी अनुसार वादी व प्रतिवादीगण वर्तमान समय में भी उपरोक्त खसरा की भूमि में काबिज काश्त है। जिनका बंटवारा निम्न से है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

(क) खेत ख.न. 298 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन के कब्जे काश्त में है।

(ख) खेत खसरा न. 299 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि निम्न प्रकार बंट में है। प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन के 01 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 37 ता 42 के 01 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 11 मोईदीन खों के 02 बीघा 18 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 2 मेहमुद खों के 01 बीघा व प्रतिवादी सं० 3 जलाल खां के 01 बीघा व प्रतिवादी सं. 49 हाजरा के 01 बीघा नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट आया हुआ है।

(ग) खसरा न. 1551/452 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा का बंट निम्न प्रकार से है। प्रतिवादी सं० 5 लोडू खों उर्फ मोहम्मद बक्स के 01 बीघा 10 बिस्वा व वादी मोहम्मद अली के 06 बीघा 06 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आयी हुई है।

(घ) खसरा न. 452 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा का बंट निम्न प्रकार से है वादी मोहम्मद अली के 07 बीघा 09 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 5 लोडू खों उर्फ मोहम्मद बक्ष के 05 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 6 लाल मो० के 03 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 7 मो० लुकमान के 03 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 50 ग्राम पंचायत शैरानी आबाद के 03 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आई हुई है।

(ङ) ख. न. 99 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा का बंट निम्न प्रकार से है। प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० के 14 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के 05 बीघा 14 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आई हुई है।

(च) ख. न. 100 रकबा 05 बीघा का बंट निम्न प्रकार से है। प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० के 05 बीघा सम्पूर्ण नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आई हुई है।


प्रार्थना वादी है कि

(क) खेत ख.न. 298 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन के कब्जे काश्त में है।

(ख) खेत खसरा न. 299 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि निम्न प्रकार बंट में है। प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन के 01 बीघा 10 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 37 ता 42 के 01 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 11 मोईदीन खों के 02 बीघा 18 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 2 मेहमुद खों के 01 बीघा व प्रतिवादी सं० 3 जलाल खां के 01 बीघा व प्रतिवादी सं. 49 हाजरा के 01 बीघा नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट आया हुआ है।

(ग) खसरा न. 1551/452 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा का बंट निम्न प्रकार से है। प्रतिवादी सं० 5 लोडू खों उर्फ मोहम्मद बक्स के 01 बीघा 10 बिस्वा व वादी मोहम्मद अली के 06 बीघा 06 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आयी हुई है।

(घ) खसरा न. 452 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा का बंट निम्न प्रकार से है वादी मोहम्मद अली के 07 बीघा 09 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 5 लोडू खों उर्फ मोहम्मद बक्ष के 05 बीघा 14 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 6 लाल मो० के 03 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 7 मो० लुकमान के 03 बीघा 08 बिस्वा व प्रतिवादी

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2017/227  
वायर दिनांक 02.08.2017, निर्णय दिनांक 13.09.2017  
मोहम्मद अली खॉ बनाम् अजीज खॉ, वगैरा।

सं० 50 ग्रम पंचायत शेरानी आबाद के 03 बिस्वा भूमि नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आई हुई है।

(ड) ख. न. 99 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा का बंट निम्न प्रकार से है। प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० के 14 बिस्वा व प्रतिवादी सं० 12 ता 14 के 05 बीघा 14 बिस्वा नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आई हुई है।

(च) ख. न. 100 रकबा 05 बीघा का बंट निम्न प्रकार से है। प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० के 05 बीघा सम्पूर्ण नजरी नक्शा अनुसार मौके पर बंट में आई हुई है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण सं० 01 ता 51 को वास्ते जवाबदेही हाजर अदालत जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 03, 09, 12, 13, 36, 38, 39, 41, 50, 51 बावजूद तामिलगी के न्यायालय में अनुपस्थित रहने से उनके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया। वादी व प्रतिवादी सं० 01, 02, 04 ता 08, 10, 11, 14 ता 35, 37, 40, 42 ता 49 ने इकबालिया जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादी के वाद को डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी व प्रतिवादी सं० 04, 05, 14, 20, 21, 37 ने राजीनामा पेश किया। राजीनामा की इबारत पक्षकारान को पढकर सुनाई व समझाई गई। जिसे बिना किसी लालच व दवाब के सही होना स्वीकार किया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। पक्षकारान जरिये राजीनामा व इकबालिया जवाब अनुसार दावा डिक्री किये जाने पर सहमत है। वादी के वाद को किसी भी पक्षकार द्वारा खण्डित नहीं किया गया है। अतः वादी का वाद स्वीकार कर डिक्री सादिर किया जाता है।


### आदेश

हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद शेरानी आबाद में निम्न खसरा न. की भूमि का बन्टवारा, बाईमीट्स एण्ड बाउण्ड्स के नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शितानुसार निम्न बन्टवारा किया जाता है कि:-

(क) खेत ख.नं. 298 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण का प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

(ख) खेत खसरा न. 299 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन को व रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 37 ता 42 को व रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 11 मोईदीन खॉ के व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं० 2 मेहमुद खॉ को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं० 3 जलाल खॉ को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं. 49 हाजरा को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।


(ग) खसरा न. 1551/452 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा में से रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 5 लोडू खॉ उर्फ मोहम्मद बक्स को व रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा का वादी मोहम्मद अली को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

  
जिला जज कलेक्टर  
डीडवामा (नागौर)

राजस्व-वाद, संख्या 2017/227  
दायर दिनांक 02.08.2017, निर्णय दिनांक 13.09.2017  
मोहम्मद अली खॉ बनाव् अजीज खॉ, वगैरा।

- (घ) खसरा नं. 452 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा में से रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा का वादी मोहम्मद अली को व रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 5 लोडू खॉ उर्फ मोहम्मद बक्ष को व रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 6 लाल मो० को व रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 7 मो० लुकमान को व रकबा 03 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 50 ग्रम पंचायत शैरानी आबाद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (ङ) ख. न. 99 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा में से रकबा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० को व रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 12 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (च) ख. न. 100 रकबा 05 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 01 अजीज खॉ, प्रतिवादी संख्या 04 खलीलखॉ, प्रतिवादी संख्या 08 जायदा, प्रतिवादी संख्या 10 बाना बेगम, प्रतिवादी संख्या 15 जैना बानो, प्रतिवादी संख्या 16 गुलशन बानो, प्रतिवादी 17 मेहमूदा बानो, प्रतिवादी 18 शबीना बानो, प्रतिवादी संख्या 19 अमीना बानो, प्रतिवादी संख्या 22 मोहम्मद बक्ष, प्रतिवादी संख्या 23 कमरुद्दीन, प्रतिवादी संख्या 24 जमीला, प्रतिवादी संख्या 25 ऐमना, प्रतिवादी संख्या 26 रहमत, प्रतिवादी संख्या 27 हसीना, प्रतिवादी संख्या 28 मोहम्मद खॉ, प्रतिवादी संख्या 29 हलीमा, प्रतिवादी संख्या 30 सकीना, प्रतिवादी संख्या 31 सलामत, प्रतिवादी संख्या 32 फातमा, प्रतिवादी संख्या 33 बिलाल खॉ, प्रतिवादी संख्या 34 इकबाल खॉ, प्रतिवादी संख्या 35 अलाउद्दीन, प्रतिवादी संख्या 36 जफरुद्दीन, प्रतिवादी संख्या 43 बिसमिला, प्रतिवादी संख्या 44 सुभानी, प्रतिवादी संख्या 45 बेगमा, प्रतिवादी संख्या 46 जेनव, प्रतिवादी संख्या 47 रमजान तथा प्रतिवादी संख्या 48 सायरा का नाम उपर्युक्त खसरान् की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। डिक्री जारी हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)


निर्णय आज दिनांक 13.09.2017 को सरे इजलास में सुनाया

गया।

  
(उत्तमसिंह शेखावत)  
R.A.S.  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)

दिनांक :- 01/11/2017

नोट :- खसरा सं० 1529/447 रकबा 10.17 बीघा में से प्रतिकरी सं० 3 है 2.14 बीघा, प्रतिकरी सं० 38 है 2.13 बीघा, प्रतिकरी सं० 49 है 2.13 बीघा व प्रतिकरी सं० 20 है 2.17 बीघा क्षेत्र में जाती है जब खसरा सं० 447 रकबा 5 बीघा प्रतिकरी सं० 20 है वह में घोषित में जाती है।

  
सहायक कलेक्टर  
डीडवाना (नागौर)


डिगरी बमुकदमें इब्दाई  
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)  
अज अदालत:- सहायक कलक्टर, डीडवाना  
बइजलास : श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या: 2027 / 227

दायर दिनांक 02.08.2017

वादी	प्रतिवादीगण
1. मोहम्मद अली खॉ पुत्र हनीफ खॉ जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तह. डीडवाना।	1. अजीज खॉ पुत्र सदीक खॉ 2. मेहमूद खॉ पुत्र सदीक खॉ 3. जलाल खॉ पुत्र सदीक खॉ 4. खलील खॉ पुत्र अलाबक्ष खॉ 5. लोडू खॉ उर्फ मो0 बक्ष पुत्र अलाबक्ष खॉ 6. लाल मो0 पुत्र अलाबक्ष खॉ 7. मो0 लुकमान पुत्र अलाबक्ष खॉ 8. जायदा बैवा अलाबक्ष खॉ 9. दीन मो0 पुत्र इब्राहिम खॉ 10. बाना बेगम पुत्री इब्राहिम खॉ 11. मोहीदीन पुत्र जवरुदीन खॉ 12. लियाकत अली पुत्र कासमदीन 13. हासम अली पुत्र कासमदीन 14. अख्तर रजा पुत्र कासमदीन 15. जैना बानो पुत्री श्री कासमदीन 16. गुलशन बानो पुत्री कासमदीन 17. मेहमूदा बानो पुत्री कासमदीन 18. सबीना पुत्री कासमदीन 19. अमीना पुत्री कासमदीन 20. गनी खॉ पुत्र हनीफ खॉ 21. अलाउदीन पुत्र हनीफ खॉ 22. मोहम्मद बक्ष पुत्र नियाजु खॉ 23. कमरुदीन पुत्र नियाजु खॉ 24. जमीला पुत्री नियाजु खॉ 25. ऐमना पुत्री नियाजु खॉ 26. रहमत पुत्री नियाजु खॉ 27. हसीना पुत्री नियाजु खॉ 28. मोहम्मद खॉ पुत्र गुलाम मो0 29. हलीमा पत्नी गुलाम मो0 30. सकीना पुत्री गुलाम मो0 31. सलामत पुत्री गुलाम मो0 32. फातम पुत्री गुलाम मोहम्मद 33. बिलाल खॉ पुत्र ईजाज खॉ 34. इकबाल खॉ पुत्री ईजाज खॉ 35. अलाउदीन पुत्र ईजाज खॉ 36. जफरुदीन पुत्र ईजाज खॉ 37. अब्दुल रसीद पुत्र हासम खॉ 38. जाकिर हुसैन पुत्र हासम खॉ 39. अ0 रजाक पुत्र हासम खॉ 40. सदाम हुसैन पुत्र हासम खॉ 41. अब्दुल सतार पुत्र हासम खॉ 42. अब्दुल जब्बार पुत्र हासम खॉ 43. बिसमिला पुत्री हासम खॉ 44. सुबानी पुत्री हासम खॉ 45. बेगमा पुत्री हासम खॉ 46. जेनब पुत्री हासम खॉ 47. रमजान बानो पुत्री हासम खॉ 48. सायरा पत्नी हासम खॉ 49. हाजरा पत्नी लाल मोहम्मद जाति शैरानी मुसलमान निवासी शैरानी आबाद तहसील डीडवाना। 50. ग्राम पंचायत शैरानी आबाद 51. तहसीलदार डीडवाना।

बनाम

  
सहायक कलक्टर  
डीडवाना (नागौर)

(लगातार)

दावा बाबत  
घोषणा खातेदारी, बंटवारा, रेकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निवेद्याज्ञा  
अन्तर्गत धारा- 88, 53-188 R.T.Act.

दिनांक 13.09.2017

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिरसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी मिनजानिव मुददई श्री मो शरीफ शैरानी अधिवक्ता वादी व श्री मो रफीक अधिवक्ता प्रतिवादीगण ओर से मददायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है कि हस्व राजीनामा दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद शैरानी आबाद में निम्न खसरान की भूमि का बन्टवारा, बाईमीटर्स एण्ड वाउण्ड्स के नजरीनक्शा अनुसूची "अ", में दर्शितानुसार निम्न बन्टवारा किया जाता है कि:-

- (क) खेत ख.नं. 298 रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा सम्पूर्ण का प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (ख) खेत खसरा न. 299 रकबा 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि में से रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 21 अलाउदीन को व रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 37 ता 42 को व रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 11 मोईदीन खों के व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं० 2 मेहमुद खों को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं० 3 जलाल खों को व रकबा 01 बीघा का प्रतिवादी सं. 49 हाजरा को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (ग) खसरा न. 1551/452 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा में से रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 5 लोडू खों उर्फ मोहम्मद बक्स को व रकबा 06 बीघा 06 बिस्वा का वादी मोहम्मद अली को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (घ) खसरा नं. 452 रकबा 20 बीघा 02 बिस्वा में से रकबा 07 बीघा 09 बिस्वा का वादी मोहम्मद अली को व रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 5 लोडू खों उर्फ मोहम्मद बक्ष को व रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 6 लाल मो० को व रकबा 03 बीघा 08 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 7 मो० लुकमान को व रकबा 03 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 50 ग्रम पंचायत शैरानी आबाद को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (ङ) ख. न. 99 रकबा 06 बीघा 08 बिस्वा में से रकबा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० को व रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा का प्रतिवादी सं० 12 ता 14 को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।
- (च) ख. न. 100 रकबा 05 बीघा सम्पूर्ण प्रतिवादी सं० 9 दीन मो० को स्वतन्त्र खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

प्रतिवादी संख्या 01 अजीज खों, प्रतिवादी संख्या 04 खलीलखों, प्रतिवादी संख्या 08 जायदा, प्रतिवादी संख्या 10 बाना बेगम, प्रतिवादी संख्या 15 जैना वानो, प्रतिवादी संख्या 16 गुलशन वानो, प्रतिवादी 17 मेहमूदा वानो, प्रतिवादी 18 शबीना वानो, प्रतिवादी संख्या 19 अमीना वानो, प्रतिवादी संख्या 22 मोहम्मद बक्ष, प्रतिवादी संख्या 23 कमरुद्दीन, प्रतिवादी संख्या 24 जमीला, प्रतिवादी संख्या 25 ऐमना, प्रतिवादी संख्या 26 रहमत, प्रतिवादी संख्या 27 हसीना, प्रतिवादी संख्या 28 मोहम्मद खों, प्रतिवादी संख्या 29 हलीमा, प्रतिवादी संख्या 30 सकीना, प्रतिवादी संख्या 31 सलामत, प्रतिवादी संख्या 32 फातमा, प्रतिवादी संख्या 33 बिलाल खों, प्रतिवादी संख्या 34 इकबाल खों, प्रतिवादी संख्या 35 अलाउदीन, प्रतिवादी संख्या 36 जफरुद्दीन, प्रतिवादी संख्या 43 विसमिला, प्रतिवादी संख्या 44 सुमानी, प्रतिवादी संख्या 45 वेगमा, प्रतिवादी संख्या 46 जेनब, प्रतिवादी संख्या 47 रमजान तथा प्रतिवादी संख्या 48 सायरा का नाम उपर्युक्त खसरान की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड से हटाया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरस्त हो। नजरीनक्शा अनुसूची "अ", निर्णय व डिक्री का अभिन्न भाग रहेगा।

नीज.....-..... मुबलिंग.....-..... बाबत.....-..... खर्चा इस मुकदमों के मय सूद व शरह.....-..... आज की तारीख को अदा करें। बसब मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 13.09.2017 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर  
बीडवा-डीडवाना (पी०)

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जादावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जा		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील	-		खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	-		फिस कमिश्नर		
फिस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय			मुतफर्रिक		
हुकमनामा					
मुतफर्रिक					
मिजान			मिजान		

नोट:-इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर  
बीडवा-डीडवाना (पी०)